भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 41.

दिनांक 02.02.2021/ 13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

सीसीटीएनएस का उपयोग

†41. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकरः
कुमारी प्रतिमा भौमिकः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अपराध् एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीएनएस)/इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) को महत्व दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कई पुलिस स्टेशनों को अभी सीसीटीएनएस साॅफ्टवेयर से नहीं जोड़ा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने न्यायालय सीसीटीएनएस डाटा का उपयोग कर रहे हैं; और

(घ) राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने न्यायालय सीसीटीएनएस के अंतर्गत न्यायालयीन डाटा का प्रति-हस्तांतरण कर रहें हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): जी, हाँ। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के प्रयोग की केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

के साथ नियमित तौर पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु स्मार्ट पुलिस व्यवस्था संबंधी पहलों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए सीसीटीएनएस और आईसीजेएस पर बल प्रदान किया है।

(ख): सीसीटीएनएस को 14306 पुलिस स्टेशनों के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में, देश के 15773 पुलिस स्टेशनों (नए पुलिस स्टेशनों सहित) में स्थापित किया गया है। तथापि, 383 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसकी स्थापना का कार्य शुरू हो गया है।

(ग) और (घ): आईसीजेएस, ई-न्यायालय उपभोक्ताओं को सीसीटीएनएस डाटा तक और इसी प्रकार, सीसीटीएनएस उपभोक्ताओं को ई-न्यायालय संबंधी आंकड़े तक पहुंच प्रदान करता है। तथापि, उपयोग के बारे में विशिष्ट आंकड़े केंद्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

******